प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ दिनांक 05 अगस्त, 2021*

विषयः- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी हरेन्द्र पुत्र श्री हरकेश निवासी जनपद-बुलन्दशहर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-16599/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-07.07.2021) दिनांक-12.07.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी हरेन्द्र पुत्र श्री हरकेश, ग्राम-लक्ष्मणगढी, थाना-सिकन्द्राबाद, जनपद-बुलन्दशहर का निवासी है। वादी के परिवार वालों की जमीन के ऊपर गांव की जगवीरी पत्नी जगपाल आदि से मुकदमेंबाजी चल रही थी। घटना से करीब 11 महीने पहले जगवीरी के पति जगपाल तथा पुत्र सतपाल का कत्ल हो गया था, जिसमें वादिनी रविन्द्री के परिवार वालों के नाम रंजिश के कारण लिखा दिये थे। दिनांक 03.11.2000 की सुबह जगपाल पुत्र दलीप का अज्ञात लोगों ने गांव से काफी दूर रास्ते में कत्ल कर दिया था, जिसके कारण अभियुक्त ने अपने 05 अन्य साथियों के साथ मिलकर वादिनी की देवरानी सुन्दरी व उसके दोनों बच्चे पुत्री कुमारी लक्ष्मी व पुत्र कार्तिक उर्फ छोटू घेर कर एवं वादिनी की सास श्रीमती राजवीरी सहित कुल 04 लोगों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-740/2001 में भा0द0वि0 की धारा-148, 452, 302/149 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश(त्वरित न्या0 न्याय कक्ष सं0-16), बुलन्दशहर के आदेश दिनांक 20.09.2002 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 27.02.2013 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 23.02.2021 तक 20 वर्ष 03 माह 20 दिन की अपरिहार सजा तथा 26 वर्ष 04 माह 13 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर द्वारा बन्दी के भविष्य में अपराध करने की सम्भावना होने, पुनः अपराध करने में अशक्त न होने, बन्दी द्वारा पुनः अपराध करने की सम्भावना के दृष्टिगत जेल में और आगे निरूद्ध किये जाने का प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि बंदी ने दिनांक 03.11.2000 को जमीन की मुकद्मेबाजी की रंजिश में 04 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्यतम अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, पुनः अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा अपनी आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी हरेन्द्र पुत्र हरकेश को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- अत: रिट याचिका (क्रि0) सं0-61/ 2021 हरेन्द्र व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.02.2021 के अनुपालन में तथा उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी हरेन्द्र (बन्दी संख्या-7631) पुत्र श्री हरकेश निवासी जनपद-बुलन्दशहर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-136/2021/1370(1)/22-2-2021 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।

3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-136/2021/1370/22-2-2021-21(09)/2021

दिनांक 05 अगस्त, 2021 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी हरेन्द्र पुत्र श्री हरकेश, ग्राम-लक्ष्मणगढी, थाना-सिकन्द्राबाद, जनपद-बुलन्दशहर का निवासी है। वादी के परिवार वालों की जमीन के ऊपर गांव की जगवीरी पत्नी जगपाल आदि से मुकदमेंबाजी चल रही थी। घटना से करीब 11 महीने पहले जगवीरी के पति जगपाल तथा पुत्र सतपाल का कत्ल हो गया था, जिसमें वादिनी रविन्द्री के परिवार वालों के नाम रंजिश के कारण लिखा दिये थे। दिनांक 03.11.2000 की सुबह जगपाल पुत्र दलीप का अज्ञात लोगों ने गांव से काफी दूर रास्ते में कत्ल कर दिया था, जिसके कारण अभियुक्त ने अपने 05 अन्य साथियों के साथ मिलकर वादिनी की देवरानी सुन्दरी व उसके दोनों बच्चे पुत्री कुमारी लक्ष्मी व पुत्र कार्तिक उर्फ छोटू घेर कर एवं वादिनी की सास श्रीमती राजवीरी सहित कुल 04 लोगों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-740/2001 में भा0द0वि0 की धारा-148, 452, 302/149 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश(त्वरित न्या0 न्याय कक्ष सं0-16), बुलन्दशहर के आदेश दिनांक 20.09.2002 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 27.02.2013 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 23.02.2021 तक 20 वर्ष 03 माह 20 दिन की अपरिहार सजा तथा 26 वर्ष 04 माह 13 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर द्वारा बन्दी के भविष्य में अपराध करने की सम्भावना होने, पुनः अपराध करने में अशक्त न होने, बन्दी द्वारा पुनः अपराध करने की सम्भावना के दृष्टिगत जेल में और आगे निरूद्ध किये जाने का प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि बंदी ने दिनांक 03.11.2000 को जमीन की मुकद्मेबाजी की रंजिश में 04 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्यतम अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, पुनः अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा अपनी आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी हरेन्द्र पुत्र हरकेश को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।